

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देवरिया

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ

संख्या 550/एल0बी0सी0-2023

दिनांक 20 सितम्बर, 2023

विषय :- जनपद देवरिया के नवसृजित नगर पंचायत बैतालपुर में "मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना" के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण एवं द्वितीय किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा निर्गमित शासनादेश संख्या-125/2022/1954/नौ-9-2022/001-84 J-22 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत जनपद के नवसृजित नगर पंचायत बैतालपुर को कुल 06 कार्यों के सापेक्ष रू0 1,29,43,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि अवमुक्त कर अवगत कराया गया है।

2- इसी प्रकार शासनादेश संख्या-160/2022/4351-E-1667107/002-84 J-22 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 के द्वारा उक्त योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत मदनपुर को कुल 07 कार्यों के सापेक्ष रू0 3,18,90,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त रू0 1,59,45,000/- की धनराशि अवमुक्त कर अवगत कराया गया है।

3- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बैतालपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-98/न0पं0 बैतालपुर-2023 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा 02 कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। तत्संबंधी कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	कार्य की स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त	कार्य के सापेक्ष निविदा धनराशि	कार्य के सापेक्ष कुल भुगतान	कार्य के सापेक्ष द्वितीय किश्त हेतु मॉग धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर पंचायत बैतालपुर के इटवा में देवरिया गोरखपुर में पिच रोड से हनुमान मंदिर से रघुवंश यादव के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	शासनादेश संख्या-125/2022/1954/नौ-9-2022/001-84 J-22 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के अन्तर्गत	23,93,000	23,93,000	23,78,000	23,78,000	0
2	नगर पंचायत बैतालपुर के विशुनपुर में नूर मोहम्मद के मकान से नन्हें शर्मा के मकान होते हुए विशुनपुर में पिच रोड तक	शासनादेश संख्या-125/2022/1954/नौ-9-2022/001-84 J-22 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के अन्तर्गत	18,37,000	9,18,500	18,37,000	9,18,500	9,18,500

हफ्तरस्ताकिंग रोड निर्माण कार्य						
योग :-	42,30,000	33,11,500	42,15,000	32,96,500	9,18,500	

शासनादेश संख्या-1489/नौ-9-2022-84 ज/22 दिनांक 08 अगस्त, 2023 में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (CM-NSY: नवसृजित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों हेतु) के अन्तर्गत निकायों में कराये जाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-16(i) में निम्नवत् निर्देश दिया गया है-

"योजना में चयनित कार्यों/परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण मासिक आधार पर जिलाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा अपर जिलाधिकारी/अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम जिसमें अधिशासी अभियन्ता एवं लेखा के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हो, के द्वारा किया जायेगा। इस तकनीकी टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर फोटोग्राफ सहित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से एवं निदेशक, नगरीय निकाय के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर ही योजनान्तर्गत शासन द्वारा नियमानुसार द्वितीय/अवशेष किरत अवमुक्त की जायेगी।"


शासनादेश में दिये गये निर्देश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय झाप संख्या-2004(1-6)/एल0बी0सी0-2023 दिनांक 13 जनवरी, 2023 के द्वारा उक्त योजनान्तर्गत नगर पंचायत बैतालपुर द्वारा कराये जा रहे कार्यों के गुणवत्ता की जाँच हेतु निम्नवत् अधिकारियों की समिति गठित की गयी-

- | | |
|--|---------|
| 1. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) देवरिया- | अध्यक्ष |
| 2. अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख०, लो०नि०वि० देवरिया- | सदस्य |
| 3. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा देवरिया- | सदस्य |

जाँच समिति द्वारा उपरोक्त कार्यों के गुणवत्ता की स्थलीय जाँच की गयी, जिसमें प्रथम दृष्ट्या कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गयी है।

अतः अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बैतालपुर के पत्रांक-98/न०प० बैतालपुर-2023 दिनांक 14.09.2023 एवं इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराई गई उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा समिति की जाँच आख्या की प्रति संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया शासनादेश संख्या-125/2022/1954/नौ-9-2022/001-84 J- 22 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 में स्वीकृत उपरोक्त 01 कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किरत की धनराशि ₹० 9,18,500/- (₹० नौ लाख अठारह हजार पांच सौ मात्र) को अवमुक्त किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि

भवदीय,

(अखण्ड प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
देवरिया

संख्या / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
देवरिया

कार्यालय नगर पंचायत बैतालपुर, देवरिया।

पत्रांक 98 / न0प0बैतालपुर-2023-24
सेवा में,

दिनांक 14 सितम्बर, 2023

जिलाधिकारी महोदय,
देवरिया।

विषय :- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना अन्तर्गत सीमा विस्तारित/उच्चीकृत/नवसृजित नगरीय निकायों हेतु द्वितीय किश्त के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-तक0सेल/168/21-मु0मं0न0सू0यो0/ 2023-24 दिनांक 31 जुलाई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना अन्तर्गत सीमा विस्तारित/उच्चीकृत/नवसृजित नगरीय निकायों हेतु द्वितीय किश्त के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-125/2022/001-84जे-22 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 160/ 2022/4351/002-ई-1667107.84जे-22 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर सादर प्रेषित है।

अतः उपरोक्त कराए गए कार्यों संलग्न उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अवलोकन कर द्वितीय किश्त की धनराशि मु0-9,18,500.00(नौ लाख अट्ठारह हजार पांच रुपये मात्र) की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु नगरीय निदेशालय में अनुमोदन पत्र प्रेषित करने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- निर्धारित प्रारूप-2 अदद उपयोगिता प्रमाण पत्र।


14/09/23
अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत बैतालपुर
देवरिया।

Annexure - II

UTILIZATION CERTIFICATE: CM-NSY


Format of Utilization Certificate


Name of work:-Nagar Panchayat BaitapurkeVishunpur me Nur Mohamad kemakan se
NanheShrmakemakanhotehueyVishunpur main pich road tak Interlocking road
nirmankary

U.L.B. Nagar Panchayat Baiptapur

S.No.	G.O. No and Date	Released Amount (Rs. In Lacs)	Details of Grant Utilization
7	Ministry/department G.O. no.160/ 2022/ 4351/002-E-1667107 -84J-22 date-12 Dec. 2022	9.18	Certified that out of Rs. 9.18 lacs of Grant-in-aid sanctioned during the year 2022-23infavour of U.L.B. Nagar Panchayat Tarkulwa under this Ministry/department G.O. no.160/2022/4351/002-E-1667107 -84J-22 date-12 Dec. 2022 given in the margin and Rs.9.14 has been utilized for the purpose of Nagar Panchayat BaitapurkeVishunpur me Nur Mohamad kemakan se NanheShrmakemakanhotehueyVishunpur main pich road tak Interlocking road nirmankary for which it was sanctioned.

It is certified that I have satisfied myself that conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled.

.....WERB 2

Junior Engineer
Nagar Panchayat
Deoria


Executive Officer
Nagar Pachayat Baiptapur
Deoria